Part XXI C— Recruitment of the posts of Typist.

टंककों की नियुक्ति

ज्ञाप संख्या १० / परी० ९-८०/७५-२४४-का० ।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग।

सेवा में,

सचिवालय के सभी विभाग,
संलग्न कार्यालय / विभागाध्यक्ष ।

पटना—१५, दिनांक ५ फरवरी, १९७५ ।

विषय :— टंकक, चर्यालिपिक, अभिलेखवाह के पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की सूचना ।

निदेशानुसार कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या ६१३, दिनांक २५ जून, १९७३ के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि टंकक, चर्यालिपिक एवं अभिलेखवाह के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी है। अतः अनुरोध है कि उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सम्प्रति रिक्त पदों की एवं जून, १९७५ तक सम्भावित रिक्तियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में दिनांक २५ फरवरी, १९७५ तक निश्चित रूप से कार्मिक विभाग (परीक्षा शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे कि आयोग को उसी आधार पर परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया जा सके ।

२ । रिक्तियों की सूचना निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई महीने में विहित प्रपत्र में दी जाय। प्राप्त रिक्तियों की सूचना के आधार पर ही सफल उम्मीदवारों का आवंटन कार्मिक विभाग द्वारा किया जायेगा ।

४ । कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

रामचन्द्र घोषाल,
सरकार के उप-सचिव।

बि० स० मा० मु० (पी० एण्ड ए०) ४२—१,००० —१६-२-१९७५—रा० च० वर्मा ।

टंकक, चर्यालिपिक, अभिलेखवाह के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रथम / द्वितीय अर्द्ध-वार्षिक रिक्तियों की सूचना।

विभाग / कार्यालय का नाम ....

पदनाम	कुल स्वीकृत पद		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन-जाति की संख्या		नियुक्ति हेतु रिक्तियों की कुल संख्या		अभ्युक्ति।
	स्थायी।	अस्थायी	स्थायी।	अस्थायी।	स्थायी।	अस्थायी।	स्थायी।	अस्थायी।	

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या–१० /परी०—६०१ / ७७ का० ६०४ / पटना, दिनांक १८ मई, १९७८।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय, बिहार, राँची।

विषय :— सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में टंककों की नियुक्ति।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या—२४४, दिनांक ३-२-७६ के प्रसंग में मुझे कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में टंकक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है एवं उनकी अनुशंसितसूची से नियुक्ति हेतु आवंटन किया जाता है। अत: इस सूची से परे की जानेवाली नियुक्तियां अनियमित हैं इधर कुछ मामले प्रकाश में आये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ विभागों द्वारा टंकक के पदों पर अभी भी अनियमित नियुक्तियाँ की जा रही हैं।

अत: अनुरोध है कि अब से इस प्रकार की कोई अनियमित नियुक्ति नहीं की जाय। आयोग द्वारा अनुशंसित सूची से परे की गई नियुक्तियाँ बिल्कुल अनियमित होंगी, तथा ऐसे नियुक्त टंककों को विभागीय परीक्षा में इस बार की विभागीय परीक्षा के बाद से सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।

ह०/—अस्पष्ट

१३-६-७८

(रामचन्द्र घोषाल)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक   मई, १९७८ ।

विषय :— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिये सचिवालय विभागीय टंकण परीक्षा के स्तर में सामान्य जाति के उम्मीदवारों की तुलना में निम्नस्तर रखे जाने का प्रावधान ।

—o—

नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या-१९८६७, दिनांक २०-११-७० में ऐसा आदेश निर्गत किया गया है कि प्रोन्नति के लिये अगर कोई विभागीय परीक्षा पास करना आवश्यक हो तो परीक्षा के लिये जो स्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये हो, वह दूसरों की तुलना में निम्नस्तर हो ।

२— इसी प्रकार नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या सं० ४६०४ दिनांक १५-३-७७ की कंडिका-३ में ऐसा आदेश निर्गत किया जा चुका है कि जिन पदों में प्रोन्नति के लिये सक्षम [illegible] यदि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो तो उक्त परीक्षा में अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये उत्तीर्णांक १० प्रतिशत कम रहे ।

३— सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत टंककों के लिये सचिवालय अनुदेश [illegible]—२ भाग—२ के नियम २.४ (III) (ख) में विहित विभागीय परीक्षा टंककों की प्रोन्नति के लिये परीक्षा है या नहीं, यह विषय सरकार के विचाराधीन था । यह बात सही है कि उक्त विभागीय परीक्षा प्रोन्नति के लिये परीक्षा नहीं है, परन्तु जिस नियम के अन्तर्गत यह परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें ऐसा प्रावधान है जो टंकक अपनी नियुक्ति की तारीख के बाद लगातार हुई दो परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो सकेंगे वे पदोन्मुक्त कर दिये जाने के भागी होंगे । इस प्रकार स्पष्ट है कि [illegible] उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वे टंकक न तो सम्पुष्ट किये जाएंगे और न फलतः उनकी आगे प्रोन्नति हो सकेगी [illegible] यदि ऐसा माना जाय तो उक्त परीक्षा प्रोन्नति के लिये परीक्षा समझी जा सकती है ।

४— अतः राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया है कि :—

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के टंककों के लिये सचिवालय अनुदेश-अध्याय-२, भाग-२ के नियम-२.४ (III) (ख) में विहित विभागीय परीक्षा टंककों की प्रोन्नतिमूलक परीक्षा मानी जाय ।

(ख) उक्त विभागीय परीक्षा में (लिखित एवं मौखिक जांच परीक्षाओं को मिलाकर) जहाँ सामान्य उम्मीदवारों के लिये उत्तीर्ण होने हेतु १०० अंक में मात्र ४० अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, वहाँ अनुसूचित जाति / जन-जाति के सदस्यों को उत्तीर्ण होने हेतु मात्र-३० अंक ही प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(घ) टंकण गति जांच परीक्षा में जहां सामान्य उम्मीदवारों को ३.१/२ प्रतिशत गलतियों की छूट का लाभ अनुमान्य है, वहां अनुसूचित जाति /जन-जाति के सदस्यों को २ प्रतिशत गलतियों की छूट का लाभ दिया जाय ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि उक्त निर्णय तुरत लागू कर इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

२— यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष सभी प्रमंडलीय आयुक्तों / मुख्य वन संरक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/— रामचन्द्र घोषाल

सरकार के उपसचिव ।

ज्ञाप संख्या—१०/परी०—६०३/७६. का०— ६५३ / पटना, दिनांक ३१ मई, १९७८ ।

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

२— अनुरोध है इसकी १००० प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/—अस्पष्ट

(रामचन्द्र घोषाल)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या— ६५३ / का०— पटना, दिनांक ३१ मई, १९७८ ।

प्रतिलिपि— सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / मुख्य वन संरक्षक, बिहार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ;

ह०/—अस्पष्ट
(रामचन्द्र घोषाल,)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या— ६५३ / का— पटना, दिनांक ३१ मई, १९७८ ।

प्रतिलिपि— कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं प्रशासनिक शाखा) को सूचनार्थ एवं एतदनुसार सचिवालय अनुदेश के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशाखा-II) को सूचनार्थ एवं आवश्यक करंवाई हेतु प्रेषित ।

(रामचन्द्र घोषाल)
सरकार के उप सचिव ।

Part XXII—Recruitment to class IV posts.

बिहार सरकार,

नियुक्ति विभाग।

पत्र संख्या—३ आर १—१०३/७० नि०—१३९८४, पटना—१५, दिनांक १७ अगस्त, १९७१।

सेवा में,

सभी विभागों के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी

विषय:— आदेशपाल, पहरेदार, जैसे चतुर्थवर्गीय पदों के लिये नियुक्ति का आधार—

नियुक्ति विभाग के परिपत्र संख्या-३ / आर १-१०३ / ७० नि० ४२१४, दिनांक [illegible] (प्रतिलिपि संलग्न) का आंशिक रूप में संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर आदेशानुसार सूचित करना है कि अब से आदेशपाल, पहरेदार, पिअन जैसे चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिये निम्नलिखित योग्यताएं [illegible]

(क) उम्मीदवार स्वस्थ हो। इसके लिये शरीरिक परीक्षण हो।

(ख) उम्मीदवार साइकिल चलाना जानता हो।

(ग) उम्मीदवार को पढ़ने-लिखने का समुचित ज्ञान हो जिससे कि वे अपना नाम हस्ताक्षर कर सकें और संचिकाओं का विषय पढ़ सकें।

२। यदि कोई उम्मीदवार साइकिल चलाना नहीं जानते हों पर अन्यथा योग्य हों तो उनसे इस आश्वासन लेने के बाद कि वे एक महीने के अन्दर साइकिल चलाना सीख जायंगे उनके मामले पर भी विचार किया जा सकता है।

ह०/- [illegible]

रामानन्द सिंह,

सरकार के [illegible] सचिव।

ज्ञापांक—